हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971

धाराओं का क्रम

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

3. सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग।

4. बेदखली के आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए नोटिस का जारी किया जाना।

5. अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली।

6. अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा सरकारी स्थान पर छोड़ी गई सम्पत्ति का व्ययन।

7. सरकारी स्थान के सम्बन्ध में किराया संदत्त या नुकसानी दिए जाने की अपेक्षा करने की शक्ति।

8. कलक्टर की शक्ति।

9. अपीलें।

10. आदेशों की अन्तिमता।

11. अपराध और शास्ति ।

12. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति।

13. वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व।

14. किराए आदि को भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली।

15. अधिकारिता का वर्जन।

16. सदभावपूर्वक की गई कारवाई के लिए संरक्षण।

17. नियम बनाने को शक्ति।

18. निरसन।

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम संख्यांक 22)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 21 जून, 1991 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 07 सितम्बर, 1991 को पृष्ठ संख्या 1907—1914 पर प्रकाशित किया गया)

संशोधित, निरसित या अन्यथा द्वारा प्रभावितः—

(i) 2007[2] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 जिसे महामहिम राज्यपाल द्वारा 26 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की गई और जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश में 29 सितम्बर, 2007 को पृष्ठ संखया 6149—6151 पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया।

(ii) 2009[3] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 जिसे महामहिम राज्यपाल द्वारा 17 सितम्बर, 2009 को अनुमति प्रदान की गई और जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश में 22 सितम्बर, 2009 को पृष्ठ संखया 3992—3995 पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया।

(iii) 2012[4] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 01 जिसे महामहिम राज्यपाल द्वारा 18 जनवरी, 2012 को अनुमति प्रदान की गई और जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश में 28 जनवरी, 2012 को पृष्ठ संखया 5323—5324 पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया।

सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए और कुछ आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

————————

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 21 जून, 1991 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 07 सितम्बर, 1991 को पृष्ठ संख्या 1907 से 1914 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाण के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।
2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 07 सितम्बर, 2007 पृष्ठ संख्या 4972 देखें।
3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 28 अगस्त, 2009 पृष्ठ संख्या 3107 देखें।
4. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 22 दिसम्बर, 2011 पृष्ठ संख्या 4748 देखें।

2. **परिभाषाएं.**— इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

(क) "कलक्टर" से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कोई अन्य अधिकारी इसके अन्तर्गत है;

(ख) "निगमित प्राधिकारी" से इस धारा के खण्ड (ड़) के उप–खण्ड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट कोई कम्पनी या निगम अभिप्रेत है;

(ग) "सम्पदा" का वही अर्थ है जो हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) में इसका है;

(घ) "स्थान" से कोई भूमि या कोई भवन अथवा भवन का कोई भाग चाहे इसका उपयोग कृषि या गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाए, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है,—

(i) उद्यान, जमीन और उपगृह, यदि कोई हों, जो ऐसे भवन या भवन के भाग के अनुलग्न हों, और

(ii) कोई फिटिंग जो ऐसे भवन या भवन के भाग के अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए उसमें लगाई गई हो;

(ङ) "सरकारी स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो राज्य सरकार का हो या उस के द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो या अधिगृहीत किया गया हो या और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) कोई नगर निगम/समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, पंचायत समिति, पंचायत या सुधार न्यास [1] XXXXXX ,

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कम्पनी जिसकी समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून भाग राज्य सरकार द्वारा धारित हो,

(iii) कोई निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कम्पनी अथवा स्थानीय प्राधिकारी नहीं है) जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खण्ड (7) में यथापरिभाषित किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अथवा हिमाचल प्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन हो;

---

1. 2007 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा "या हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत वक्फ सम्पत्तियां" शब्द जोडे गए और 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 01 द्वारा उनका लोप किया गया।

(iv) हिमाचल प्रदेश सहकार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई सहकारी सोसाइटी;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) किसी सरकारी स्थान के सम्बन्ध में "किराया" में उस स्थान के प्राधिकृत अधिभोग के लिए कालिक रूप से देय प्रतिफल अभिप्रेत है, और–

(i) उस स्थान के अधिभोग के सम्बन्ध में विद्युत, जल. या किसी अन्य सेवा के लिए कोई प्रभार; और

(ii) उस स्थान के सम्बन्ध में संदेय (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई कर, उस दशा में इसके अन्तर्गत आता है जब ऐसा प्रभार या कर राज्य सरकार, निगमित प्राधिकारी द्वारा इस धारा के खण्ड (ङ) के उप–खण्ड (i) में दिया गया, या स्थानीय निकाय द्वारा संदेय हो।

2. **सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग.**– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में किसी सरकारी स्थान के अप्राधिकृत अधिभोग में समझा जाएगा–

(क) जहां उसने, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् आबंटन पट्टा या अनुदान के अधीन और अनुसरण से अन्यथा पर कब्जा किया है. या

(ख) जहां वह, आबंटिती, पट्टेदार या प्राप्तिकर्ता के नाते, उन निमित्त उसमें अन्तर्विष्ट निबन्धनों के अनुसार उसके आबंटन, पट्टा या अनुदान के अवधारण या रद्दकरण के कारण से, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्, ऐसे सरकारी स्थान रखने या धारण करने का हकदार नहीं रह गया है; या

(ग) जहां, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात्, किसी सरकारी स्थान का अधिभोग करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति ने–

(i) आबंटन, पट्टा या अनुदान के निबन्धनों के उल्लंघन में, राज्य सरकार या ऐसी शिकमी देना अनुज्ञात करने के लिए सक्षम किसी अन्य प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना, सम्पूर्ण ऐसा सरकारी स्थान या उसका कोई भाग शिकमी दिया है; या

(ii) अभिव्यक्त या विवक्षित किन्हीं निबन्धनों, जिनके अधीन वह ऐसे सरकारी स्थान का अधिभोग करने के लिए प्राधिकृत है के उल्लंघन में अन्यथा कार्य किया है।

स्पष्टीकरण.—खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा केवल इस तथ्य के कारण कि उसने कोई किराया संदत्त कर दिया है, आबंटिती, पट्टेदार या प्राप्तिकर्ता के रूप में कब्जा कर लिया गया नहीं समझा जाएगा।

4. **बेदखली के आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने के नोटिस का जारी किया जाना.**—(1) यदि कलक्टर की यह राय हो कि कोई व्यक्ति उसकी अधिकारिता में स्थित किसी सरकारी स्थान या अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं और उनको बेदखल किया जाना चाहिए तो कलक्टर इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में एक लिखित नोटिस जारी करेगा जिसमें सब सम्बन्धित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे कारण दर्शित करें कि बेदखली का आदेश क्यों न किया जाए।

(2) नोटिस में,—

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर बेदखली का आदेश किए जाने की प्रस्थापना हो; और

(ख) सब सम्बन्धित व्यक्तियों ने अर्थात् उन सब व्यक्तियों से जो उस सरकारी स्थान का अधिभोग कर रहे हैं या संभाव्यतः कर रहे हैं अथवा उसमें हित का दावा करें, यह अपेक्षा की जाएगी कि वे प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हों, उस तारीख को या उसके पूर्व दर्शित करें जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और जो उसके जारी किए जाने के बाद दस दिन से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी।

(3) कलक्टर उस नोटिस की उस सरकारी स्थान या उस सम्पदा जिसमें सरकारी स्थान स्थित हैं के बाहरी द्वार या किसी अन्य सहज दृश्य स्थान पर लगा कर और ऐसी अन्य रीति में जैसी विहित की जाए तामील करवाएगा और तब यह समझा जाएगा कि नोटिस सब सम्बद्ध व्यक्तियों को सम्यक रूप से दे दिया गया है।

(4) जहां कलक्टर जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति सरकारी स्थान का अधिभोग कर रहे हैं तो, उप–धारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह नोटिस की एक प्रति प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर डाक द्वारा या उस व्यक्ति को उसे परिदत्त या निविदत्त करके अथवा ऐसी अन्य रीति में, जैसी विहित की जाए, तामील कराएगा ।

5. **अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली.**—(1) यदि धारा 4 के अधीन सूचना के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित कारण पर, यदि कोई हो, और किसी साक्ष्य पर, जिसे वह उसके समर्थन में पेश करे, विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् कलक्टर का समाधान हो जाता है कि सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोग में है तो कलक्टर, बेदखली का आदेश दे सकेगा, जिसमें उसके कारण अभिलिखित होंगे और यह निदेश होगा कि उस सरकारी स्थान को उस प्रयोजन के लिए नियत तारीख को

उन सब व्यक्तियों द्वारा, जो उसका अथवा उसके किसी भाग का अधिभोग कर रहे है, खाली कर दिया जाए और उस आदेश की एक प्रति उस सरकारी स्थान या सम्पदा जिस में सरकारी स्थान स्थित है के बाहरी द्वार या किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगवाएगाः

[1]{परन्तु इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, कलक्टर धारा 4 के अधीन नोटिस जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर बेदखली का आदेश करेगा, तथापि, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अवधि को तीन मास तक के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।}

[2]{(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का, उपधारा (1) के अधीन इसके प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पालन करने से इन्कार करता है या असफल रहता है तो कलक्टर या उस द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उपर्युक्त वर्णित अवधि के अवसान के पन्द्रह दिन के पश्चात् उस व्यक्ति को बेदखल कर सकेगा और सरकारी स्थान का कब्ज़ा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो।

(3) कलक्टर, इस धारा के अधीन बेदखल व्यक्ति पर दस हज़ार रुपए तक या स्थान के बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, का जुर्माना अधिरोपित करेगा।}

6. **अप्राधिकृत अधिभोगियों द्वारा सरकारी स्थान पर छोड़ी गई सम्पत्ति का व्ययन.**–(1) जहां किन्ही व्यक्तियों को धारा 5 के अधीन किसी सरकारी स्थान से बेदखल किया गया हो वहां कलक्टर उन व्यक्तियों को, जिनके कब्जे से सरकारी स्थान लिया गया हो, चौदह दिन का नोटिस देने के पश्चात् और उस नोटिस को कम से कम एक ऐसे समाचार–पत्र में जिसका उस क्षेत्र में परिचलन हो, प्रकाशित करने के पश्चात् किसी सम्पत्ति जो उस स्थान में रह गई हो, हटा सकेगा या हटवा सकेगा अथवा सार्वजनिक नीलामी द्वारा उनको बेच सकेगा।

(2) जहां किसी सम्पत्ति का उपधारा (1) के अधीन विक्रम किया जाए वहां उसके विक्रय के आगमों, उनमें से विक्रय के व्यय को और किराए की बकाया या नुक्सानी या खर्च के कारण राज्य सरकार, निगमित प्राधिकारी या धारा 2 के खण्ड (ड़) के उप–खण्ड (i) में यथा दिए गए स्थानीय निकाय को देय रकम, यदि कोई हो, काटने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिए जाएंगे जो कलक्टर को उनके हकदार प्रतीत होंः

———————————

1. 2009 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित किया गया।
2. 2009 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा उप–धारा (2) के स्थान पर उप–धारा (2) और (3) प्रतिस्थापित की गई हैं।

परन्तु वहां कलक्टर इस बात का विनिश्चय करने में असमर्थ हो कि किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को रकम का प्रतिशेष संदेय है या उसका प्रभाजन किस प्रकार हो वहां वह ऐसे विवाद को सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उस पर उस न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।

7. **सरकारी स्थान के संबंध में किराया संदत्त या नुकसानी दिए जाने की अपेक्षा करने की शक्ति.**–(1) जहां किसी सरकारी स्थान के सम्बन्ध में देय किराए का बकाया किसी व्यक्ति द्वारा संदेय हो वहां कलक्टर उस व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे इतने समय के अन्दर संदत्त करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हों।

(2) जहां कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा हो या किसी समय करता रहा हो वहां कलक्टर नुक्सानी के निर्धारण के ऐसे सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर, जो विहित किए जाएं, ऐसे स्थान के प्रयोग और अधिभोग के कारण नुक्सानी का निर्धारण कर सकेगा और आदेश द्वारा उस व्यक्ति से इतने समय के अन्दर नुक्सानी संदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(3) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को यह अपेक्षा करने वाला नोटिस जारी न कर दिया गया हो कि वह उतने समय के अन्दर जितना नोटिस में विनिर्दिष्ट हो कारण दर्शित करें कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और जब तक उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हो, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, कलक्टर द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

[1]{परन्तु उपधारा (1) और (2) के अधीन प्रत्येक आदेश छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा तथापि कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अवधि को तीन मास तक के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।}

8. **कलक्टर की शक्ति.**–निम्नलिखित बातों के बारे में, इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनों के लिए कलक्टर को वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनको पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

---

1. 2009 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित किया गया।

9. **अपीलें**.—(1) किसी सरकारी स्थान के सम्बन्ध में धारा ए या धारा 7 के अधीन किए गए कलक्टर के प्रत्येक आदेश की अपील आयुक्त को होगी।

(2) उप—धारा (1) के अधीन अपील—

(क) उप—धारा (5) के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में उस धारा की उप—धारा (1) के अधीन उस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अन्दर की जाएगी; और

(ख) धारा 7 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में उस तारीख से जिस को वह आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया जाए, तीस दिन के अन्दर की जाएगी;

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाए कि अपीलार्थी समय पर अपील फाईल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो वह अपील को तीस दिन की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा।

(3) जहां कलक्टर के किसी आदेश से अपील की जाए वहां आयुक्त उस आदेश का प्रवर्त्तन इतनी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर रोक सकेगा जो वह उचित समझे।

[1]{(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील आयुक्त द्वारा तीन मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी।}

(5) इस धारा के अधीन किसी अपील के खर्चे आयुक्त के विवेकाधीन होंगे।

10. **आदेशों की अंतिमता**.—इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाए इस अधिनियम के अधीन कलक्टर या आयुक्त द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और किसी मूलवाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

11. **अपराध और शास्ति**.—[2]{(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी स्थान से बेदखल किया गया हो स्थान को पुनः अपने अधिभोग में, ऐसे अधिभोग के लिए प्राधिकार के बिना लेता है तो यह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हज़ार रुपए तक का हो सकेगा या स्थान के बाजार मूल्य के दुगुने से, जो भी उच्चतर हो, या दोनों से, दण्डनीय होगा।}

———————————

1. 2009 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा उप—धारा (4) प्रतिस्थापित की गई।
2. 2009 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा उप—धारा (1) प्रतिस्थापित की गई।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किसी व्यक्त को सिद्धदोष ठहराने वाला कोई मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को संक्षिप्ततः बेदखल करने के लिए आदेश दे सकेगा और किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन की जा सकेगी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह ऐसी बेदखली का भागी होगा।

12. **जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति.**—यदि कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं तो कलक्टर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उन व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से उस सरकारी स्थान का अधिभोग कर रहे व्यक्तियों के नामों और अन्य विशिष्टियों के बारे में जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा और प्रत्येक व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की जाए, अपने पास की जानकारी देने के लिए आबद्ध होगा।

13. **वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व.**—(1) जहां कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध किराए की बकाया के अवधारण के लिए या नुक्सानी के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही की जानी हो या की गई हो उस कार्यवाही के किए जाने से पूर्व या उसके लम्बित रहने के दौरान मर जाए वहां वह कार्यवाही उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध, यथास्थिति, की जा सकेगी या जारी रखी जा सकेगी।

(2) किसी व्यक्ति से चाहे किराए की बकाया या नुक्सानी अथवा खर्चे के रूप में राज्य सरकार, कोई निगमित प्राधिकारी या धारा 2 के खण्ड (ड़) (1) के उप–खण्ड (i) में यथा वर्णित स्थानीय निकाय, को देय कोई रकम उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा संदेय होगी, किन्तु उनका दायित्व उनके पास मृतक की आस्तियों के परिमाण तक ही सीमित होगा।

14. **किराए आदि की भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली.**—यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय किराए की बकाया को या उस धारा की उप–धारा (2) के अधीन संदेय नुक्सानी को अथवा धारा 9 को उप–धारा (5) के अधीन राज्य सरकार, किसी निगमित प्राधिकारी या धारा 2 के खण्ड (ड.) के उप–खण्ड (i) में यथा दिए गए स्थानीय निकाय को दिलाए गए खर्च को अथवा ऐसे किराए, नुक्सानी या खर्च के किसी भाग को उतने समय के अन्दर, यदि कोई हो, जो उससे सम्बद्ध आदेश में उसके लिए विनिर्दिष्ट हो, देने से इन्कार करता है या असफल रहता है तो कलक्टर देय रकम को भू–राजस्व को बकाया के रूप में बसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

15. **अधिकारिता का वर्जन.**—किसी व्यक्ति की, जो किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा हो, बेदखली के या धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन संदेय किराए की बकाया अथवा उस धारा को उप–धारा (2) के अधीन संदेय नुक्सानी की या धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन राज्य सरकार, निगमित प्राधिकारी या धारा 2 के खण्ड (ड.) के उप–खण्ड (i) में यथा दिए गए स्थानीय निकाय को, दिलाए गए खर्च की अथवा ऐसे किराए, नुक्सानी या खर्च के किसी भाग की वसूली के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी सिविल न्यायालय को नहीं होगी।

16. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रबाई के लिए संरक्षण.**— कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, राज्य सरकार या आयुक्त अथवा कलक्टर के विरुद्ध न होगी।

17. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सब विषयों को विहित करते हुए जो इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है या विहित किए जाने को अनुज्ञात है अथवा जो इस अधिनियम को कार्यान्वित करने या प्रभावी करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हों, इस अधिनियम से अनसंगत नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती उप–धारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस का प्ररूप और वह रीति जिसमें उसकी तामील को जा सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करना;

(ग) सरकारी स्थान का कब्जा लेने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) वह रीति जिसमें अप्राधिकृत अधिभोग के लिए नुक्सानी का निर्धारण किया जा सकेगा और वे सिद्धांत जिनका ऐसी नुक्सानी का निर्धारण करने में ध्यान में रखा जा सकेगा;

(ड.) वह रीति जिससे अपीलें की जा सकेंगी और अपीलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा और उन परिवर्तनों के अधीन होगा जो विधान मण्डल उस सत्र के दौरान, जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं या आनुक्रमिक सत्र में करे।

18. **निरसन**.—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब पब्लिक प्रिमाईसिज एण्ड लैण्ड (इविक्शन एण्ड रैण्ट रिकवरी) ऐक्ट, 1959 (1959 का 31) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।